



क्रमांक:- 8690

दिनांक:- 5/10/2020
I.B.T.(B) 52 / 2020-21

डॉ. संजीव सांधवी पुत्र डॉ. एल.एम. सांधवी
डॉ. नीलम सांधवी पत्नि डॉ. संजीव सांधवी
पूखण्ड सं. 110, सेक्टर डी, भूसूरिया सेक्शन 04
शास्त्रीनगर, जोधपुर।

:::- भवन निर्माण आदेश :-::

विषय :- आवासीय भवन निर्माण प्रयोजनार्थ स्वीकृति हेतु।
प्रसंग :- आपका आवेदन पत्र दिनांक 12.02.2020।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसंगिक गठित भवन निर्माण अनुमति समिति की बैठक दिनांक 10.06.2020 के प्रस्ताव संख्या 09 के अन्तर्गत अनुमोदित मानचित्र के अनुसार आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

1. फाटकौनी व छज्जे का निर्माण नहीं करेगे।
2. पडोसी की बिस्किंग लाईन को यथावत रखेगे।
3. मानचित्र एवं पट्टे में यदि चतुर्तरी दर्शाई गई है तो उसे खुली रखेगे।
4. छाजसा भूमि पर किसी प्रकार की तामीर का निर्माण नहीं करेगे।
5. स्वामित्व के संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में यह निर्माण स्वीकृति शून्य होगी।
6. वर्षा जल संग्रहण संरचना का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
7. भविष्य में बकाया राशि निकलने पर जमा करवाने को बाध्य रहेगे।
8. भवन में नियमानुसार अग्नि शमन सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी।
9. दी गई भवन निर्माण स्वीकृति के विपरीत निर्माण/उपयोग होने पर यह निर्माण स्वीकृती शून्य मानी जायेगी।
10. भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु दी गई अनुज्ञा को स्वामित्व के प्रमाण के रूप में नहीं माना जायेगा।

स्वीकृति का प्रकार	आवासीय निर्माण
अनुमत निर्माण	बी+जी+1
कुल क्षेत्रफल	700.00 वर्गगज
सैटबैक	अग्र - 20' पार्श्व प. - 20' पार्श्व द्वि. - 10' पीछे - 10'

11. निर्माण स्थल पर 4'x4' के बोर्ड पर स्वीकृत मानचित्र व आदेश की प्रति को प्रदर्शित करना होगा एवं निर्माण पूर्ण साक्याती पूर्णक करना होगा, किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर नगर निगम उत्तरदायी नहीं होगा।
12. भवन निर्माणकर्ता द्वारा स्वीकृत नक्शों के अनुरूप निर्माण किये जाने के दौरान किसी भी प्रकार का मलबा अथवा बिस्किंग मेटेरियल सड़क पर नहीं डाला जावेगा। यदि किसी भी प्रकार का मलबा/बिस्किंग मेटेरियल भू-स्वामी द्वारा सड़क पर डाला जाता है तो भवन निर्माणकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात पारितिका द्वारा जारी निर्माण स्वीकृति को निरस्त की जा सकेगी।
13. भवन निर्माणकर्ता द्वारा 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड पर निर्माण आरम्भ किये जाने से पूर्व साईट पर कम से कम एक शौचालय का निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा तथा शौचालय की संख्या प्रति 10 श्रमिक पर एक शौचालय निर्माण करना आवश्यक होगा। ताकि निर्माण कार्य में लगे मजदूर उसका प्रयोग कर सकें। यदि भवन निर्माणकर्ता द्वारा शौचालय का निर्माण नहीं किया जाता है तो निर्माण स्वीकृति को निरस्त किया जा सकेगा।
14. यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय में निर्मित वाद गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार के निर्णयाधीन रहेगा तथा वर्तमान-भविष्य में मास्टर प्लान के अनुरूप नियमों/उपनियमों को मानने के लिये सदैव बाध्य रहेगे।

यह स्वीकृति तीन वर्ष के लिये वैध है।

आवेदन शुल्क- 1,000/- जांच शुल्क- 7,000/- कुल राशि- 8,000/- जरिये रसीद संख्या 9069/1103 दिनांक 12.02.2020, भवन निर्माण शुल्क- 6,500/- बी.एस.यू.पी. शुल्क- 6,933/- मलबा शुल्क- 5,000/- विकास एवं संधारण शुल्क- 49,735/- भवन पूर्णता प्रमाण पत्र शुल्क- 10,400/- इंप्रूवर- 51,811/- कुल राशि- 1,30,379/- जरिये रसीद संख्या 9069/1766 दिनांक 18.08.2020
शुल्का व अपानत राशि- 5,000/- जरिये रसीद संख्या 9069/1767 दिनांक 18.08.2020, वर्षाजल संग्रहण व अग्निशमन भूकम रक्ष शुल्क- 75,000/- जरिये रसीद संख्या 9069/1768 दिनांक 18.08.2020, पट्टा
पूरी कर 2,58,387/- जरिये रसीद संख्या 9069/6477 दिनांक 23.09.2020 को निगम कोष में जमा करा दिये गये हैं, साथ ही आपको आदेशित किया जाता है कि दी गई स्वीकृति के विपरीत निर्माण कार्य करने पर आपके विलुप्त राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194/236/245 के प्राक्यान के तहत कार्यवाही की जावेगी। भवन निर्माण के पश्चात्, मलबा सड़क पर पाया गया तो जुर्माना के रूप में 10,000/- (असरे दस हजार रुपये) वसूल किये जायेगे।

07
उपायुक्त
नगर निगम दक्षिण, जोधपुर